रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2008/फाल्गुन 7, 1929
No. 87] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2008/PHALGUNA 7, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 110(अ).—तूतीकोरिन पत्तन की सीमाओं से संबंधित दिनांक 3 जनवरी, 2006 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन स्कंध) की दिनांक 3 जनवरी, 2006 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 3(अ) में "महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खण्ड (छ) के साथ पठित भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए" के स्थान पर "महापत्तन-न्यास-अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खण्ड (थ) के साथ पठित भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए" पढ़ा जाए।

[फा. सं. पी आर-23011/1/2005-पी जी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th February, 2008

G.S.R. 110(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping (Ports Wing) number G.S.R. 3(E), dated the 3rd January, 2006, relating to the limits of the Port of Tuticorin, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 3rd January, 2006, for "In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) read with clause (g) of Section 2 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)" *read* "In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) read with clause (q) of Section 2 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)."

[F. No. PR-23011/1/2005-PG]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

711 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.